न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर।

अपील संख्या:814/2020 (जीसीएमएस 2020/00609)

1. राजस्थान सरकार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

————अपीलांट

बनाम

1. सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज नवलगढ संचालित दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट, नवलगढ़, जरिये मोतीचन्द मालू मानद सचिव पुत्र ज्ञानचन्द जैन निवासी नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजास्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट ने जमीन जैर बहस अपील खसरा नम्बर 59 रकबा 0.83 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन जोहड में से 0.83 हैक्टयर पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको उक्त जमीन से बेदखल करने का आदेश दिनांक 14.03.2019 को तहसीलदार नवलगढ द्वारा पारित कर निर्णय की पालना के लिये हल्का पटवारी को भी लिखा जा चुका था मगर रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में अपील मियाद बाहर पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने बिना अपना न्यायिक माईण्ड अप्लाई किये ही रेस्पोडेन्ट की अपील को अन्दर मियाद मानकर रेस्पोडेन्ट जे.बी. पोदार के हक में दिनांक 23.10.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय विरूद्ध कानून व विरूद्ध पत्रावली तथ्यो होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट ने अपील में यह भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.83 हैक्टयर राजस्व रिकार्ड में जोहड़ के रूप में दर्ज है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना माइण्ड अप्लाई नही करने में भारी कानूनी गलती कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2019 पारित किया है, उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.83 हैक्टयर वाके नवलगढ़ सरकारी सम्पत्ति है और सरकारी सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष को अपने कब्जे में रखने का कतई अधिकार नही है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2019 पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलाधीन निर्णय बाबत जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक अपील/पाठक/2019/1609 दिनांक 30.10.2019 द्वारा सूचित किया गया था जो पत्र अपीलान्ट को मय पत्रावली दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त हुआ तब न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय बाबत पहली बार अपीलान्ट को जानकारी हुई, दिनांक 05.11.2019 से पहले से ही पंचायती राज विभाग के चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और अपीलार्थी की ड्यूटी कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ़ के रूप में एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी नवलगढ़ के रूप में लगी हुई थी जिस करण अपीलार्थी पंचायती राज चुनाव मे व्यस्त था और अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहा था जिस कारण मौजूदा अपील पहले पेश नही की जा सकी थी, चुनाव सम्पन्न होने व उसके बाद सहायक

P.T.O.

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यभार से मुक्त होकर मौजूदा अपील तैयार कर न्यायालय श्रीमान् में पेश करने के लिये अपीलान्ट ने भेज दी थी परन्तु कोविड–19 के कारण 18 मार्च 2020 से न्यायालयों में कार्य बन्द हो गया था जिस कारण अपील पहले पेश नही की जा सकी अब लॉकडाउन हटने पर यथाशीघ्र अपील पुनः तैयार कर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश की गई है फिर भी यदि अपील को अन्दर अवधि नही माना जाता है तो अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपील में वर्णित भूमि आजादी पूर्व से ही राजकीय भूमि नहीं होकर रेस्पोडेंट की निजी स्वामित्व की सम्पत्ति हैं तथा उक्त भूमि के रेस्पोडेंट ने समय–समय पर पट्टे तत्कालीन जागीरदार से प्राप्त कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया है तथा पट्टाशुदा भूमि के बाबत् किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त नहीं हैं, जागीरदार द्वारा जारी पट्टों के बाबत् किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व जागीरदार द्वारा जारी पट्टों को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना किसी प्रकार की कोई भी बेदखती की कार्यवाही किसी के द्वारा भी नहीं की जा सकती है। उन्होने यह भी कथन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रभाव में आने से कई वर्षों पूर्व सन् 1930 में ही अपील में वर्णित भूमि पर रेस्पोडेंट बहैसियत पट्टेधारी काबिज होकर भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है केवल मात्र भू–राजस्व अभिलखों में किसी भूमि का अंकन जोहड़ के रुप दर्ज किये जाने से पूर्व तत्समय भूमि को मौके पर उपयोग–उपभोग को भी देखा जाना चाहिये यदि आजादी से पूर्व में भूमि का उपयोग–उपभोग जोहड़ के रुप में नहीं किया जा रहा है और उस समय मौके पर कॉलेज, पेवेलियन इत्यादि मौजूद हो तो आजादी के बाद अथवा उक्त अधिनियम की आड़ में पूर्व से विकसित संरचना को ध्वस्त किये जाने अथवा रेस्पोडेंट को बेदखल किये जाने को कोई विधिक प्रावधान उपलब्ध ही नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती कानून की आड़ में पूर्व से चले आ रहे कॉलेज को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसा किया जाना कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 लागू होने से पूर्व ही यदि भूमि का इन्द्राज खसरा गिरदावरी में गै.मु. पैवेलियन एवं कॉलेज है तो धारा 91 के प्रावधान रेस्पोडेंट पर लागू नहीं होते हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अब्दूल रहमान प्रकरण में आजादी पूर्व की यथास्थिति बहाल रखने की अनुशंषा की गई है वैसे तो उपर्युक्त प्रकरण पर यह नजीर लागू नहीं होती है और ऐसा माना भी जावे तो यह खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता है कि भूमि पर रियासत काल से ही कॉलेज व खेल मैदान बना हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पाडेंट के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही केवल मात्र रेस्पोडेंट को हैरान व परेशान करने की गरज से की गई है जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उपर्युक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में से जो आजादी से पूर्व किस्म जोहड़ दर्ज थी को हाल खसरा नम्बर 655/2, 655/3, 655/5, 655/6 को गै.मु. आबादी में दर्ज किया जा चुका है तथा उक्त वर्णित भूमि पर नगर पालिका द्वारा पट्टे भी जारी किये जा चुके हैं तथा वहां पर आबादी बसी हुई है, जो कि रेस्पोडेंट की भूमि के लगती हुई भूमि ही है और रेस्पोडेंट से द्वेष की भावना रखते हुए आजादी पूर्व से चले आ रहे कॉलेज एवं पैवेलियन को मनमाने तरीके से जोहड़ में दर्ज कर बेदखल करने पर उतारू है जिसका अपीलांट को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा पेश रिपोर्ट में भी अपीलार्थी स्वयं ने भी यह स्वीकार किया है कि भूमि पर मौके पर कॉलेज एवं खेल मैदान बना हुआ हैं तथा रेस्पोडेंट का कब्जा रियासत काल से चला आ रहा है अर्थात् स्वयं अपीलार्थी भी यह मानता है कि यह भूमि पर आजादी पूर्व से खेल मैदान एवं कॉलेज है तो किस आधार पर अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही की है, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख अथवा आदेश नहीं है इसलिए अपीलार्थी द्वारा की जा रही कार्यवाही विधि विरुद्ध कार्यवाही है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उन्होने आगे कथन कि अपीलांट को दिनाँक 23.10.2019 से ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी, अपीलार्थी ने यह अपील गम्भीर रुप से अवधि बाधित काल में पेश की है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भूमि राजकीय नहीं होकर रेस्पोडेंट की क्रयशुदा मालिकाना, हक, अधिपत्य की है जिस पर लगभग 90 वर्ष से सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज निरन्तर संचालित है, जिसका किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था, सरकार इत्यादि से कोई सरोकार नहीं है, यह गंभीर रुप से अवधि बाधित अपील कानूनन चलने योग्य नहीं हैं और सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपर्युक्त उनवानी अपील में जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाँक 23.10.2020 को पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अपील दिनाँक 11.08.2020 को लगभग 09 माह के अन्तराल में प्रस्तुत की गई है, जो कि विधि द्वारा बाधित है तथा ऐसी गंभीर रुप से अवधि बाधित अपील कानूनन चलने योग्य नहीं हैं, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपीलांट ने स्पष्ट समय तथा दिनाँक का कथन नहीं किया है कि अपीलांट को किस दिनाँक से किस दिनांक तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नवलगढ़ के रुप में नियुक्त किया हुआ था, बल्कि अपीलांट न्यायालय को मुगालते में रखते हुए गलत तरीके से मियाद अधिनियम की धारा 5 का अनुचित लाभ प्राप्त कर गंभीर रुप से अवधि बाधित अपील पेश की हैं, क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनाँक 23.10.2019 पारित होने के लगभग पाँच माह बाद में लॉकडाउन हुआ था, इससे पूर्व विहित अवधि में भी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त समय था उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा घोर लापरवाही बरती जाकर अपील प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेंट की लिखित बहस को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की गंभीर रुप से अवधि बाधित विधि विरुद्ध पेश की गई अपील को खरिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट ट्रस्ट द्वारा विवादित भूमि का पट्टा संख्या 65 दिनांक 26.06.1930, पट्टा संख्या 144 दिनांक 27.04.1944 पट्टा संख्या 72 दिनांक 04.10.1950 तथा पट्टा संख्या 22 दिनांक 13.03.1954 द्वारा प्राप्त किया है जबकि न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एस.एल.पी.(सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के परिपेक्ष में रेस्पोडेन्ट ट्रस्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है परन्तु प्रकरण में उक्त दोनों निर्णय लागू नही होते है स्वयं पटवारी हल्का ने उक्त वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का आवंटन एवं कब्जा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से भी पूर्व अर्थात तत्कालीन रियासतों के समय का माना है तथा रेस्पोडेन्ट के पास उक्त आराजी के स्टेट समय के पट्टे इत्यादि है उसके उपरान्त भी तहसीलदार नवलगढ द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही आदेश दिनांक 14.03.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।